तारीख हुक्म	मु०सं० 27/2020 GCMS No-2020/00042 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
05-01-2021	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) धौलपुर द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पेश की है। लोक सूचना अधिकारी को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) धौलपुर ने अपने पत्र कमांकः निर्वा/2020/4415 दिनांक 29.12.2020 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव नामावली ग्राम दोरदानियाल पंचायत दूवरा पंचायत समिति धौलपुर के मतदाता सिरदारी पुत्र छुटटा एवं वशीरन पत्नी सिरदारी की वर्ष 1971 से 1975 एवं 1980 की मतदाता सूची की प्रमाणित चाही गई है उसका अपीलान्ट ने वार्ड कमांक एंव उस वार्ड में मतदाता कम संख्या, मकान संख्या आदि का पूर्ण विवरण अंकित नहीं किया है। पूर्ण विवरण के अभाव में अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई है। उक्त पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने हेतु अपीलान्ट श्री देवेन्द्र प्रसाद शर्मा को उनके द्वारा पत्र कमांक निर्वा/2020/4106-7 दिनांक 6.10.2020 से लिखा गया है। परन्तु अपीलान्ट ने सूचना के सम्बध में पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। पूर्ण विवरण के अभाव में अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस प्रकार उक्त विवरण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपीलान्ट की यह अपील इस निर्देश के निस्तारित की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत चुनाव नामावली ग्राम	

	दोरदानियाल पंचायत दूवरा पंचायत समिति धौलपुर के मतदाता सिरदारी पुत्र छुटटा एवं वशीरन पत्नी सिरदारी की वर्ष 1971 से 1975 एवं 1980 की मतदाता सूची की प्रमाणित चाही गई है उसका अपीलान्ट ने वार्ड क्रमांक एंव उस वार्ड में मतदाता क्रम संख्या, मकान संख्या आदि का पूर्ण विवरण अंकित नहीं किया है उसका पूर्ण विवरण लोक सूचना अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) धौलपुर को उपलब्ध करा कर बांछित सूचना नियमानुसार प्राप्त कर सकते है। लोक सूचना अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) धौलपुर से प्राप्त टिप्पणी की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे। (आर0 के0 जायसवाल) जिला कलक्टर, धौलपुर	